(2)

<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 223/2021

नंदकिशोर सोनी, पोस्ट टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9983352881

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

<u>आदेश</u>

दिनांक 10.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 223/2021 पर दिनांक 21.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3433–34 दिनांक 21.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक राजस्व/2021/418 दिनांक 08.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नंदकिशोर सोनी, पोस्ट टमकोर, तहसील मलसीसर द्वारा इस कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रेषित किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/407 दिनांक 20.10.2021 द्वारा आवेदक का सूचना प्रदान की जा चुकी है जिसकी प्रति पत्र के साथ सलंग्न है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर पत्रांक राजस्व/2021/418 दिनांक 08.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नंदकिशोर सोनी, पोस्ट टमकोर, तहसील मलसीसर द्वारा उनके कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रेषित किये जाने पर उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/407 दिनांक 20.10.2021 द्वारा आवेदक का सूचना प्रदान की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं